

**मोब न 94684 40214**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

## शुद्धि पत्र

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार पर विधायन संयत्र- 08,306, 309 व 61 पर विधायन, पेकिंग व पल्लेदारी कार्य हेतु निविदाएं दिनांक 03.04.2020 को आमंत्रित की गई थी जिसमें सफलता न मिलने के कारण अवधि अब दिनांक 14.04.2020 को अपराह्न 2.30 बजे तक कर दी गई है। निम्न लिखित क्लोज (क्रम संख्या )भी नियम व शर्तों का भाग माना जाएगा । जो कि 32-ए के नाम से जोड़ दिया गया है । “ 32-ए निविदा में न्यूनतम निविदादाता(L-I) उसको माना जाएगा जिसकी अधिकांश कार्यो (संख्या में ) के लिए न्यूनतम दरें होंगी तथा अन्य निविदादाताओं द्वारा दी गई न्यूनतम दरों के आधार पर L-I पार्टी से negotiation की जा सकती है ” शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

**विधान सयन्त्र सं-08,306,309,व 61 पर विधायन/पल्लेदारी व विपणन व कृषि विभाग में  
पल्लेदारी व खलिहानों पर उत्पाद सफाई के कार्य के लिए नियम एवं शर्ते**

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा देने से पूर्व रूपये 100000 /-(एक लाख रूपये) का RTGS National Seeds Corporation Limited, Hisar के नाम धरोहर राशि के रूप में नीचे दिये गये कार्यों के लिये जमा करवाना होगा तभी उसकी निविदा मान्य होगी । सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्त होने के सात दिन के अंदर-अंदर रु 200000/-(रु दो लाख) बतौर प्रतिभूति राशि जमा करवाना होगा जो कि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर धरोहर राशि के साथ बिना ब्याज के वापिस लौटा दी जायेगी असफल बोलीदाता की धरोहर राशि RTGS या उसके बैंक खाते में वापिस की जायेगी ।
2. विधायन संयत्र सं -08 , 306, 309 व 61 पर रबी 2019-20, ग्रीष्म व खरीफ 2020 की फसलों के लिये विधायन व पल्लेदारी कार्य तथा विपणन व कृषि अनुभाग सैन्ट्रल कालोनी, ठसका व खैरवां पर रबी 2019-20 ग्रीष्म व खरीफ 2020 के लिये पल्लेदारी का कार्य के लिये ठेका होगा । यह ठेका एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक या जब तक किसी अन्य ठेकेदार को ठेका आंबटित नहीं किया जाता लागू रहेगा । ठेका एक वर्ष के लिये आपसी लिखित सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
3. कार्यानुसार ठेकेदार को आदमियों की संख्या रखनी होगी । यदि बार-बार कहने पर भी आदमी नहीं बढ़ाये जाते हैं तो फार्म अपने स्तर पर आदमी लगाकर काम करवा लेगा तथा उन आदमियों का भुगतान ठेकेदार के बिल में से काट लिया जायेगा ।
4. यदि ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है या अपने कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा और यह ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी धरोहर राशि तथा थोड़े बहुत किये गये कार्य का भुगतान भी नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त अधुरा छोड़ा हुआ कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार फार्म का जो भी अतिरिक्त व्यय होगा उसकी भरपाई उसी ठेकेदार से की जायेगी। यह शर्तें सभी किये गये कार्य पर लागू होगी ।
5. ठेकेदार को कार्य शुरु करने से पूर्व 100/-रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर समझौता करना होगा तथा वह इन निर्देशों का पालन करेगा।
6. प्रक्षेत्र के अन्दर ठेकेदार अपने आदमियों से कार्य करवायेगा तथा फार्म के मजदूरों का प्रयोग नहीं करेगा ।
7. संतोषजनक कार्य न करने पर ठेका समाप्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. ठेकेदार को हर महीने की 5 तारीख तक काम का बिल ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 के चालान सहित प्रस्तुत करना होगा ।
9. यदि ठेकेदार के कारण फार्म के कार्य में देरी अथवा किसी प्रकार की हानि फार्म को होती है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी व उसकी वसूली ठेकेदार के बिल में से कर ली जायेगी ।
10. ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा फार्म की खड़ी फसल व अन्य सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी आदि की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा । नुकसान होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिल में से की जायेगी ।
11. जिन ठेकेदारों के पास श्रमिक कार्य लाईसेंस होगा उनकी निविदाओं को ही स्वीकार किया जाएगा । ठेकेदार को श्रमिक कार्य लाईसेंस व पैन न0 की प्रतिलिपि निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स काटा जायेगा ।
12. किस्म बदलने के समय प्लांट की सफाई ठेकेदार के आदमियों द्वारा करना होगा । प्लांट की सफाई के लिये कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा

13. विधायन के समय यदि ठेकेदार की लापरवाही के कारण बीज की गुणवत्ता ठीक नहीं आती है तो साथ ही साथ बीज को दोबारा री-ग्रेडिंग करना होगा जिसका अलग से कोई पैसा देय नहीं होगा।
14. ठेकेदार को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को प्लांट पर उपस्थित रहना होगा ताकि उसे किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में अवगत कराया जा सके।
15. ठेकेदार के पल्लेदार प्रत्येक छोटी, थैलियों को पूरा तोलकर सील लगाकर तथा गिनती करके बड़ी बोरी में भरेगा। ठेकेदार को 1-40 किलो की पैकिंग का वजन सही करना होगा यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है और फार्म को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। इसके अलावा ठेकेदार से दोबारा बोरियों को गिनवाकर तथा तौलाई करवाने का कार्य करना पड़ेगा, जिसका कोई भुगतान नहीं होगा।
16. प्लांट की सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।
17. किसी भी कार्य के लिये लेबर एक्ट में निर्धारित आय से कम आयु के श्रमिकों को नहीं लगाना होगा। ठेकेदार को लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पता, आयु अपने हाजिरी रजिस्टर में रखना होगा जिसे जरूरत पड़ने पर श्रम निरीक्षक को प्रस्तुत किया जा सके।
18. विद्युतीय कांटे व बैग क्लोजर का प्रभार लेते व प्रभार देते समय ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त समान सही व चालू हालात में है व उनकी मुरम्मत व रखरखाव एवं समय पर चार्ज करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ताकि तुलाई समय पर व सही हो।
19. ठेकेदार को सभी अभिलेख (Record) रखने होंगे जो कि Factory Act 1948 मजदूर अधिनियम के अर्न्तगत आवश्यक है। इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
20. कार्यानुसार स्वतः ठेकेदार को विपणन विभाग व विभिन्न खण्डों के लिए पल्लेदारी की संख्या रखनी होगी। पल्लेदारी का कार्य जहां भी जिस समय होगा वही कार्य करना होगा व ठेकेदार का प्रतिनिधि या स्वयं ठेकेदार कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा तथा मजदूरों को लाने लेजाने की व्यवस्था वह स्वयं करेगा।
21. पल्लेदारों के राशन आदि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी इसके लिये फार्म कोई व्यवस्था नहीं करेगा। फार्म केवल जितना भी सम्भव होगा आवास व्यवस्था में सहयोग करेगा।
22. यदि ठेकेदार के कारण फार्म के कार्य में देरी अथवा किसी प्रकार की हानि फार्म को होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी व उस हानि की वसूली उसके बिल में से कर ली जायेगी और न किया हुआ कार्य या लापरवाही से हानि होने की स्थिति में नुकसान का जायजा निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा समिति के समक्ष उपस्थिति रहने एवं अपना पक्ष रखने के लिये ठेकेदार को सूचना दी जायेगी तथा नुकसान की वसूली ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
23. यदि चट्टा ठीक दशा में नहीं लगाया होगा तो वह पुनः तोड़कर ठीक प्रकार से लगाना होगा। बोरियों का वजन कम या अधिक पाया गया तो समस्त बोरियों का वजन दौबारा करना होगा जिसका फार्म भुगतान नहीं करेगा। सभी चट्टे की उँचाई आवश्यकतानुसार करनी होगी।
24. जो चट्टा बाहर लगेगा उसको पल्लेदारों को ढकना होगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
25. चट्टों के नीचे करेट आदि लाने लगाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और चट्टा उठने पर करेट को गोदाम से बाहर सही ढंग से रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यह कार्य न करने की स्थिति में यह कार्य किसी अन्य से करवाया जायेगा और उसके भुगतान की कटौती ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
26. ठेकेदार के बिलों में से आयकर की वसूली, आयकर अधिनियम के अनुसार की जायेगी। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कर सरकार की तरफ से लगाया जाता है तो वह भी ठेकेदार के बिलों में से काटा जायेगा या ठेकेदार द्वारा स्वयं जमा कराने की जिम्मेदारी होगी।

27. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा । प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है अब कोई देय नहीं है । यदि इस हेतु भुगतान सम्बन्धी शिकायत आती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।
28. कोई भी फार्म कर्मचारी या उसका निकट संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठेके में भागीदार नहीं होगा ।
29. विधायन सयन्त्र पर तथा बीज की पैकिंग के बाद खाली बोरियों को 50-50 बोरीयों के बंडल बना कर रखना होगा ।
30. ठेकेदार को जो भी पैकिंग का समान दिया जाएगा (बोरी,लेडसील ,टेग ,लेबल ,दवाई ,थैली ,धागा इत्यादि) की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।
31. ठेकेदार को बीज विधायन के समय विधायित बीज की बोरियों पर बीज की किस्म ,केटेगरी , लाट न., मात्रा किलो मे आदि जानकारी साफ-साफ लिख कर चट्टा लगाना होगा यदि बिना लिखे चट्टा लगता है तो चट्टा तोड़ कर पूरी जानकारी लिख कर चट्टा पुनः लगाना होगा जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा ।
32. ठेकेदार द्वारा लिए गए विधायन ,उत्पाद सफाई व पल्लेदारी के कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से करने होंगे यदि समय पर कार्य पूरा ना होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जाएगी ।
- 32-ए निविदा में न्यूनतम निविदादाता(L-1) उसको माना जाएगा जिसकी अधिकांश कार्यो (संख्या में ) के लिए न्यूनतम दरें होंगी तथा अन्य निविदादाताओं द्वारा दी गई न्यूनतम दरों के आधार पर L-1 पार्टी से negotiation की जा सकती है ।
33. फार्म का उत्पादन विपणन अनुभाग के गोदाम से विधायन सयन्त्र पर लाने /शिफ्ट करने के लिए ठेकेदार स्वयं के वाहन का प्रबंध करेगा फार्म इस के लिए कोई वाहन नहीं देगा।
34. उप-महा प्रबन्धक (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सारी बोली को अस्वीकार कर सकता है तथा निगम विरुद्ध होने पर नोटिस जारी कर किसी भी समय ठेका रद्द कर सकते है ।

**आरबीट्रेशन :** किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जायेगा । इसके वाबजूद भी विवाद रहने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार आरबीट्रेशन की नियुक्ति, श्रीमान अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के बाद की जायेगी तथा नियुक्त आरबीट्रेशन का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । आरबीट्रेशन व न्याय क्षेत्र हिसार (हरियाणा ) होगा ।

**सहायक प्रबंधक (उत्पादन )**